

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/7811 /दो-15-14 / 24

जबलपुर, दिनांक 12 / 11 / 2024

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा0क.1127/21-ब(एक)/2024, दिनांक 15.03.2024 (अंतिम नियम), सुविधा-8 उच्च अर्हता भत्ता की कंडिका-5 के आलोक में डॉ० लखन लाल गोस्वामी, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इन्दौर (यूनिक इम्पलाई कोड नंबर 060014491) को रजिस्ट्री आदेश क. ए/5131, दिनांक 06.07.2024 द्वारा नियुक्ति दिनांक 05.07.2018 के पूर्व एलएलएम की उपाधि धारण किये जाने के फलस्वरूप उन्हें 03 अग्रिम वेतनवृद्धियों का लाभ नियुक्ति दिनांक 05.07.2018(A.N.) द्वारा प्रदान किया जा चुका है, के अनुक्रम में उनके द्वारा नियुक्ति दिनांक के पूर्व पी0एच0डी0(विधि) की उपाधि धारण किये जाने के फलस्वरूप उन्हें 01 अग्रिम वेतनवृद्धि का लाभ नियुक्ति दिनांक से निम्न तालिका के कॉलम क्रमांक 04 में दर्शाये अनुसार स्वीकृत किया जाता है:-

उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्ति (सीधी भर्ती) का दिनांक	प्राप्त वेतन	वेतनवृद्धि का दिनांक	वेतनमान रूपये 144840-194660 /- (जे-5) में निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1	2	3	4	5
दिनांक 05.07.2018 (A.N.)	144840 / -	-	144840+18190 * (PP) = 163030/- [03 Adv. Inc. for LL.M. 13440 + 01 Adv. Inc. for P.H.D. 4750 = 18190 *]	06.07.2018
		05.07.2019	149190+18190 (PP) = 167380/-	01.07.2019
		05.07.2020	153670+18190 (PP) = 171860/-	01.07.2020
		05.07.2021	158280+18190 (PP) = 176470/-	01.07.2021
		05.07.2022	163030+18190 (PP) = 181220/-	01.07.2022
		05.07.2023	167920+18190 (PP) = 186110/-	01.07.2023
		05.07.2024	172960+18190 (PP) = 191150/-	01.07.2024
दिनांक 11.04.2022 से दिनांक 10.09.2023 तक MPDLSA, Ashoknagar में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ।				


माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,


(रविशंकर डेकाटे)

ओ0एस0डी0(लेखा)
जबलपुर, दिनांक 12 / 11 / 2024

पृ. क्रमांक C/7812 /दो-15-14 / 24
प्रतिलिपि:-

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर/अलीराजपुर/इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 2. सदस्य सचिव, म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 3. रजिस्ट्रार(एम)/असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)(लेखा/पेंशन)/सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 4. डॉ० लखन लाल गोस्वामी, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- नोट:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्रमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।


ओ0एस0डी0(लेखा)